लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2842
10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में वस्त्र इकाइयों को प्रदत्त लाभ

2842. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तमिलनाडु में वस्त्र इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन पहल और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु के वस्त्र क्लस्टरों से टेक्निकल टेक्सटाइल्स, सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुपालनीय सहायता से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा शिल्पकारों को कोई वित्तीय या प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता प्रदान की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यों में वस्त्र क्षेत्र के प्रोत्साहनों और नवाचार वित्तपोषण का संतुलित क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) सहित इसके पिछले संस्करण के तहत तमिलनाडु में स्थित 313 इकाइयों को पात्र सब्सिडी के तौर पर कुल 126.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत तमिलनाडु में स्थित इकाइयों को पात्र सब्सिडी के रूप में 50.17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत तमिलनाडु में 13 आरएंडडी परियोजनाओं, 14 शैक्षणिक संस्थानों और 6 स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, तमिलनाडु के विभिन्न कलस्टरों को भी तीन जारी परियोजनाओं के समन्वय के द्वारा मदद दी गई है, जो सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकॉनमी, रिसोर्स एफिशिएंसी, रसायनों के सुरक्षित प्रयोग और एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट को कम करने को बढ़ावा देते हैं।

(घ) और (ङ): सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना जैसी योजनाओं के द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों को सहायता करती है। ये योजनाएं कच्ची सामग्री, उन्नत लूम और वर्कशेड, डिज़ाइन और उत्पाद विविधिकरण, अवसंरचना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता, ई-कॉमर्स एक्सेस, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और कारीगरों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु सहायता प्रदान करती है।

(च): वस्त्र मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण प्रगति और विकास के लिए एटीयूएफएस, पीएलआई, एनटीटीएम, एनएचडीपी, टीसीडीएस, सीपीसीडीएस, आईपीडीएस जैसी कई योजना कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं पूरे देश में समान रूप से लागू की जाती हैं। तथापि, उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टर तथा अलग-अलग क्षेत्रों के बीच सामांजस्य पूर्ण संतुलन बनाने के लिए इनमें से कुछ योजनाओं में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों हेतु विशेष प्रोत्साहन के प्रावधान हैं।

****